कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा।

कार्यालय – ज्ञाप

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की पराविधिक स्वयंसेवक योजना (पी0एल0वी0 योजना) के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा हेतु जनपद महोबा में विभिन्न स्थानों पर कार्य किये जाने हेतु पराविधिक स्वयंसेवकों को नामित किया जाना है।

इस सम्बन्ध में इच्छुक नागरिक जिनके खिलाफ कोई दाण्डिक वाद लम्बित न हो और न ही किसी वाद में दण्डित हुये हों तथा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता धारित करतें हो, आवेदन कर सकते हैं –

कौन आवेदन कर सकता है –

ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरूष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वांछित वर्गों के उत्थान में रूचि रखते है तथा उनके कार्य करना चाहते है। इनमें शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक सहित) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सक, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति (विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर) जो स्वयं सेवा में रूचि रखते हों तथा जिन्हे विधिक सेवा प्राधिकरण ठीक समझे। पूर्व में चयनित पराविधिक स्वयं सेवक भी पुनः आवेदन दे सकते है, उन्हें वरियता प्रदान की जायेगी।

पराविधिक स्वयं सेवक के कार्य –

पराविधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिये पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकरण के प्रबन्ध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सौंपा जायेगा को करना है।

आरक्षण –

क्योकिं पराविधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है, तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नही है। अतः पदों का आरक्षण नही है। परन्तु योजना के अनुरूप सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

शैक्षणिक योग्यता – 10वीं पास

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपने शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र की स्वाप्रमाणित छायाप्रति लगाकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा के कार्यालय में हाथों–हांथ या पंजीकृत डाक से दिनांक 31.08.2021 तक भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अन्तिम तिथि तक पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 30.09.2021 तक बढ़ायी जाती है।

नोट – पराविधिक स्वयं सेवकों के कार्य के लिये कोई वेतन, पारिश्रमिक या मजदूरी समय–समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तय किये मानदेय के अलावा नही होता है।

***आवेदक अपने कार्य करने की रूचि जिला स्तर, तहसील स्तर या ग्राम स्तर पर कार्य करने की इच्छा या वरीयता दर्शायें।**

सामान्य अनुदेश –

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हो।
3. अच्छा चरित्र का हो तथा समाज सेवा में रूचि रखता हो।

आवेदन भेजने का पता – कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा सी0एम0ओ0 कार्यालय के बगल में कलेक्ट्रेट रोड, महोबा।

दिनांकः 06.09.2021

भवदीय

06/09/2021

(देवेन्द्र सिंह–प्रथम)
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
महोबा।

प्रतिलिपि –

1 प्रभारी विज्ञापन/नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

2 अध्यक्ष जिला अधिवक्ता समिति महोबा को सूचनार्थ एवं समस्त अधिवक्ताओं के मध्य प्रचालित–प्रसारित किये जाने हेतु।

3 न्यायालय परिसर एवं जिला अधिवक्ता समिति कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, समस्त तहसील परिसरों के सूचना पटों पर चस्पा किये जाने हेतु।

4 चरखारी एवं कुलपहाड़ न्यायालय परिसरों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

5 जिला सूचना अधिकारी महोबा को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

6 कम्प्यूटर अनुभाग को मा0 उच्च न्यायालय एवं जनपद महोबा की वेबसाइट में प्रकाशन हेतु।

06/09/2021

दिनांकः 06.09.2021

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
महोबा।